सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –30.08.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – अभियुक्तगण 1- मेवा उर्फ मेवालाल पुत्र स्व0 रामदास 2- बन्टे पुत्र रामसेवक 3- रविकुमार पुत्र रामसेवक 4- रामू पुत्र जगदीश प्रसाद निवासीगण मु0 उमरारखेडा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन 5- सुनील पुत्र रामसेवक निवासी मु0 नया पाठकपुरा थाना कोतवाली उरई 6- अजय पुत्र रामसेवक निवासी मु0 शान्तिनगर थाना कोतवाली उरई द्वारा वादिया श्रीमती सुषमा देवी पत्नी स्व0 अखिलेश कुमार अहिरवार निवासी बघौरा कोतवाली उरई के पति के साथ कारित की गयी घटना में वादिया की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 2696/11 धारा 304/328/147 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.08.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मेवालाल उपरोक्त को दोषी पाते हुये 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।